उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ

इन्दिरा भवन, नवम तल, कमरा नं0–946, लखनऊ

(रा0सं0 1724–बी/XII–बी–17/1947, दिनांक 22.9.1947 द्वारा मान्यता प्राप्त)

अध्यक्ष
अनिरूद्ध कुमार द्विवेदी
मो0–9919473960

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
हरिशचन्द्र गौतम
मो0–8765778460

महामंत्री
अजीत कुमार त्रिपाठी
मो0– 9450183831

संगठन मंत्री
अंकुर मिश्रा
मो0–7311147714

कोषाध्यक्ष
डॉ0 दिलीप कुमार सिंह
मो0–8318171566

लेखा परीक्षक
रामचन्द्र वर्मा
मो0–9140171930

संयुक्त मंत्री
अरूण कुमार सिंह
(पूर्वी क्षेत्र)

शालिनी सिंह
(मध्य क्षेत्र)

रविन्द्र कुमार
(पश्चिमी क्षेत्र)

क्षेत्रीय प्रतिनिधि
ओमकार नाथ पाण्डेय
संतोष कुमार गिरी
नन्हे लाल
वैभव सिंह
अशोक कुमार
पीयूष कुमार तिवारी
शेष नारायण द्विवेदी
योगेश कुमार
प्रेमनाथ सिंह
दुष्यंत सिंह
सेवाराम
भूपेन्द्र नारायण तिवारी
शैलेन्द्र तिवारी
संदीप सिंह
प्रांजल कुमार तिवारी
प्रवीण कुमार सिंह
नरेन्द्र कुमार
आदित्य कुमार

पत्रांक...05.....

दिनांक 16/04/2023

सेवा में,

निदेशक,
सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नगर निकाय चुनाव आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी की शिष्टाचार भेंट एवं संवर्ग की सामान्य समस्याओं पर चर्चा हेतु महोदय द्वारा अनुमति न दिये जाने के कारण आज दिनांक 16.04.2023 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाईन बैठक गूगल मीट पर सम्पन्न की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के क्रम में संघ का मांग–पत्र निम्नवत है–

1– मुख्यालय द्वारा लागू चार माह का आवंटन नियम विरूद्ध, अव्यावहारिक एवं ग्राम पंचायतों की आडिट में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न करने वाला है तथा पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार की मंशा के विपरीत ग्राम पंचायतों की समयान्तर्गत आडिट पूर्ण करने में बाधक है। अस्तु उक्त आवंटन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए पूर्व में लागू वार्षिक आवंटन को बहाल किया जाये।

क्रमशः.....2

2– वार्षिक आवंटन में बढ़ती विसंगतियों एवं अधिकारियों के शोषण को देखते हुए पारदर्शी आवंटन व्यवस्था लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। अस्तु आवंटन की वस्तुनिष्ठ चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू करते हुए उसे ऑनलाईन किया जाये तथा प्रत्येक लेखा परीक्षा सहवर्ग को न्यूनतम एक विकास खण्ड का आवंटन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाय। यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से लागू करायी जाय।

3– आडिट ऑनलाइन में रिकार्ड आब्जरवेशन सेक्शन में 18–अदर कटेगरी हटाये जाने के कारण जिन आपत्तियों /आब्जरवेशन के लिए कटेगरी निर्धारित नहीं है वे आपत्तियां रिकार्ड नहीं हो पा रही हैं, परिणाम स्वरूप आडिट नोट निर्गमन बाधित हो रहा है। अतः रिकार्ड आब्जरवेशन सेक्शन में 18–अदर कटेगरी का पुनःस्थापन किया जाना अत्यावश्यक है। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार/एन0आई0सी0 से त्वरित पत्रचार करते हुए तत्काल 18 अदर कटेगरी का विकल्प प्रदान किया जाये।

4– आडिट ऑनलाइन से सम्बन्धित अन्य विसंगतियों के सम्बन्ध में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार/एन0आई0सी0 से पत्राचार करते हुए समस्याओं का निराकरण कराया जाये तथा पूर्व से चले आ रहे फार्मेट अटैचमेन्ट को समाप्त किया जाये।

5– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा बनाये गये लेखा तथा लेखा परीक्षा विनियम 2007 के अध्याय–4 के नियम 24 के उपनियम 2 में स्पष्ट किया गया है कि **लेखा परीक्षक लेखा**

क्रमशः 3

परीक्षा करते समय उत्पन्न हुई विविध स्थितियों में अपने विवेक का उपयोग करेंगे। ऑनलाइन आडिट के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा जारी अनिवार्य हाईरिस्क कटेगरी का आदेश उक्त नियम के विपरीत है तथा लेखा परीक्षक के विवेकाधिकार में हस्तेक्षप करने वाला है। अतः अनिवार्य हाईरिस्क सम्बन्धी आदेश निरस्त करते हुए रिस्क कटेगरी का चयन लेखा परीक्षक के विवेकाधीन रखा जाये।

6— मुरादाबाद के सहवर्ग के प्रकरण में मुख्यालय पत्रांक—सी—384 दिनांक 01.03.2023 द्वारा चार साथियों को आडिट वर्ष 2023—24 में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कार्य से विरत करते हुए जांच का आदेश दिया गया है। लम्बित जांच को शीघ्र पूर्ण कराते हुए प्रकरण को समाप्त किया जाये, जिससे साथियों को वर्ष 2023—24 में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कार्य से विरत न होना पड़े।

7— 2008 बैच के साथियों की नोशनल पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरण में मुख्यालय पत्रांक सी—416 दिनांक 24.03.2023 द्वारा जारी कार्यवृत्ति में पदोन्नति आदेश सम्बन्धी विसंगति पर पुनः परीक्षण करके यथासम्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करते हुए नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाये, जिससे ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों को हुई एक वेतनवृद्धि की हानि की पूर्ति हो सके।

8— मुख्यालय स्तर से पदोन्नति के समस्त मामलों पर शासन स्तर/लोक सेवा आयोग के स्तर पर यथाशीघ्र कार्यवाही

क्रमशः 4

करायी जाये। सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा उन सभी साथी लेखा परीक्षकों जिनका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है की समयबद्ध पदोन्नति के लिए उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जाये।

9– सी0ए0जी0कार्यालय आदेश दिनांक 09 जुलाई 2018 के अनुरूप सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर 04 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त 5400 ग्रेड पे दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

10– आडिट ऑनलाईन हेतु लैपटाप एवं इसके संचालन हेतु इंटरनेट डाटा उपलब्ध कराया जाये। साथ ही ऑनलाईन आडिट की गुणवत्ता हेतु समस्त सहवर्ग को प्रशिक्षण प्रदान कराने की शीघ्र व्यवस्था की जाये।

11– लेखा परीक्षा सहवर्ग के प्रशिक्षण हेतु वित्त विभाग के अधीन वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण शोध संस्थान लखनऊ में स्थायी व्यवस्था की जाये।

12– निदेशालय बनने के उपरान्त सभी लेखा परीक्षा सहवर्ग को केन्द्रीयकृत परिचय–पत्र उपलब्ध कराया जाये।

13– प्रत्येक लेखा परीक्षा सहवर्ग को कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाये।

14– लेखा परीक्षक एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक की भांति सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को भी नियत यात्रा भत्ता प्रदान किया जाये।

क्रमशः 5

15– लेखा परीक्षा सहवर्ग को पूर्व में मिलने वाले रनिंग टी0ए0 की व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाये।

16– लेखा परीक्षा सहवर्ग के साथियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के समस्त देयकों का अविलम्ब भुगतान किया जाये।

17– जनपदीय कार्यालयों में मूलभूत सुविधाओं तथा लाईब्रेरी आदि की व्यवस्था तथा महिला कार्मिकों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाये।

18– मुख्यालय में संघ को आवंटित कमरा नं0–946 खाली कराकर संघ के चार्ज में सौंप दिया जाये।

19– शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार निदेशक महोदय के साथ केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक माह में द्वितीय शुक्रवार आयोजित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाये।

20– लेखा परीक्षा सहवर्ग से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह मांग की जाती है कि मुख्यालय में 03 साल से अधिक समय से एक ही पटल पर कार्य कर रहे अधिकारियों का पटल परिवर्तन किया जाये।

21– विभाग की बेबसाईट यथाशीघ्र तैयार कराकर उस पर विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनायें, परिपत्र एवं आवंटन आदि को प्रदर्शित किया जाये।

22– माननीय पंचायतीराज समिति के पटल पर पंचायतीराज संस्थाओं का वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यथाशीघ्र रखा जाये।

क्रमशः 6

23– आडिट एक्ट एवं लेखा परीक्षा नियमावली शीघ्र तैयार करायी जाये।

24– ऑनलाईन आडिट की व्यवस्था में आपत्तियों के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात पुनः आडिट नोट की समीक्षा औचित्यहीन है। अस्तु आडिट रिपोर्टो की किसी भी स्तर से समीक्षा/पुनरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाये।

25– जनपदीय स्तर गठित अनुपालन कमेटी को भंग किया जाये तथा अनुपालन के सम्बन्ध में पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाये।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Ajeet

(अजीत कुमार त्रिपाठी)
महामंत्री

Aniruddh

(अनिरूद्ध कुमार द्विवेदी)
अध्यक्ष